राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6287/1998

सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री हरदेव लाल भोला, उम्र लगभग ---- वर्ष, निवासी ए-3, रिजर्व बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी, गांधी नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400001
2. प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001
3. अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक सेवा चयन बोर्ड, 6वीं मंजिल, हांगकांग बैंक बिल्डिंग, हुतात्मा चौक के पास, मुंबई-400001
4. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्कल के पास, जयपुर।
5. संजीव सिन्हा
6. पी.के. प्रधान
7. आर.पी. सिंह
8. नाथू सिंह

(सभी अधिकारी ग्रेड-ए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्कल के पास, जयपुर के माध्यम से)।

----प्रत्यर्थी

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6255/1998

से संबद्ध

एल.के. शर्मा पुत्र श्री बी.एन. शर्मा, उम्र करीब.....वर्ष, निवासी 50, गेटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई- 400001

2. प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001।

3. अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक सेवा चयन बोर्ड, 6वीं मंजिल, हांगकांग बैंक बिल्डिंग, हुतात्मा चौक के पास, मुंबई-400001।

4. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्कल के पास, जयपुर।

5. संजीव सिन्हा

6. पी.के. प्रधान

7. आर.पी. सिंह

8. नाथू सिंह

(सभी अधिकारी ग्रेड-ए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्कल के पास, जयपुर के माध्यम से)।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से :		श्री ए.के. शर्मा (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ
		श्री रचित शर्मा
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री संजय श्रीवास्तव के साथ
		श्री आदित श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

आदेश आरक्षित करने की तिथि	:	28.07.2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	21.08.2023

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. चूँकि इन याचिकाओं में सामान्य तथ्य और कानून के प्रश्न शामिल हैं, इसलिए पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से दोनों मामलों को अंतिम निपटान के लिए एक-साथ लिया गया है और इन दोनों मामलों का निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा किया जाता है।

2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार और एल.के. शर्मा की वरिष्ठता क्रमशः VII/226 और VII/245 है, लेकिन उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए कनिष्ठ व्यक्तियों संजीव सिन्हा (VIII/0069/2), वी. के. आर्य (VIII/0124), पी. के. प्रधान (VIII/0242) को पदोन्नति दी गई है और दिनेश कुमार (VIII/0417) को अधिकारी ग्रेड 'ए' से अधिकारी ग्रेड 'बी' पद पर नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि आरबीआई द्वारा तय मानदंडों से हटकर वर्ष 1998 में पहली बार एक नया मानदंड अपनाया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता अधिकारी ग्रेड 'बी' के पद पर पदोन्नति पाने से वंचित हो गए हैं।

3. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 जैसे कनिष्ठ व्यक्तियों को उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर ग्रेड 'ए' से ग्रेड 'बी' अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए सूची में शामिल किया गया था, जो उनके निष्पादन रिपोर्ट और साक्षात्कार पर आधारित है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता की योजना का पालन करना था और याचिकाकर्तागण को 1998 की चयन सूची में शामिल करना था क्योंकि याचिकाकर्तागण ने अपनी गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उपयुक्तता के मानक को पूरा किया था जैसा कि उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्शाया गया है (संक्षेप में, 'एसीआर')। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्तागण को पदोन्नति से वंचित करना पदोन्नति नीति और वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता की योजना का उल्लंघन है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण की ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से **बी.वी. शिवैया और अन्य बनाम के. अद्दंकी बाबू और अन्य (1998) 6 एससीसी 720** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है, में रिपोर्ट किया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के मौजूदा मानदंडों को नजरअंदाज करने के अपने रुख को सही ठहराने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा सामग्री को रिकॉर्ड पर रखा गया है और योग्यता के नए मानदंडों को अपनाने में उनका औचित्य नहीं था- वर्ष 1998 में एक अपवाद के माध्यम से सह-उपयुक्तता ने याचिकाकर्तागण को उनकी वरिष्ठता और पिछले एसीआर को नजरअंदाज करते हुए पदोन्नति से वंचित कर दिया। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्तागण को ग्रेड 'बी' अधिकारी की पदोन्नति के लिए उनके सही दावे और उचित विचार से वंचित कर दिया। इसलिए, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि पदोन्नति की मांग करना वैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि सभी नियुक्तियां और पदोन्नति भारतीय रिज़र्व बैंक (कर्मचारी) विनियमन, 1948 (संक्षेप में, 'विनियमन 1948) के विनियमन 29 के अनुसार की जाती हैं। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरबीआई द्वारा प्रशासन परिपत्र संख्या 26 दिनांक 31.12.1980 के तहत पदोन्नति के लिए एक योजना तैयार की गई थी और तदनुसार, पदोन्नति योजनाएं समय-समय पर तैयार और नवीनीकृत की गईं और मौजूदा योजना के आधार पर, प्रत्यर्थीगण ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और उन सभी व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जो ग्रेड 'बी' में अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचाराधीन क्षेत्र में आते थे। तदनुसार, याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसने 50 अंकों में से 28 अंक प्राप्त किए। मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल अंक 200 से घटाकर 100 कर दिए गए। याचिकाकर्ता ने इनमें से 76 अंक प्राप्त किए। मूल्यांकन के लिए 100, इसलिए, उसके कुल अंक 150 में से 104 अंक थे। इसलिए, याचिकाकर्ता योग्य नहीं था और उसे उसकी योग्यता और निष्पादन के आधार पर उपयुक्त नहीं पाया गया और तदनुसार, उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पदोन्नति दी गई। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पदोन्नति नीति या नियम निर्धारित करते समय, नियोक्ता के लिए योग्यता और वरिष्ठता के संबंध में अलग से दी जाने वाली भारिता मानदंड को निर्दिष्ट करना खुला है, जब तक कि नीति शक्तियों के अनुरूप न हो। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित दो निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. **के. सामंतराय बनाम. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने (2004) 9 एससीसी 286** में रिपोर्टित

2. **सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारतीय संघ 1990 (सप्प) एससीसी 350** में रिपोर्टित ।

अधिवक्ता का कहना है कि ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनजर इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है और ये दोनों याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।

5. दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक (संक्षेप में, 'आरबीआई') के कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनियमन, 1948 द्वारा शासित होती हैं। विनियमन 1948 के विनियमन 29 के अनुसार "सभी नियुक्तियाँ और पदोन्नति बैंक के विवेक पर की जाएंगी और किसी ग्रेड में अपनी वरिष्ठता के बावजूद कर्मचारी को किसी विशेष पद या ग्रेड पर नियुक्त या पदोन्नत होने का अधिकार होगा।

7. वर्ष 1970 में आरबीआई द्वारा एक कैडर समीक्षा समिति (संक्षेप में, 'सीआरसी') का गठन किया गया था, जिसने 1972 में सिफारिशें दीं। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीआरसी की रिपोर्ट के मद्देनजर, अधिकारियों को अधिकारी ग्रेड के रूप में नामित किया गया है। 'ए', ग्रेड 'बी', ग्रेड 'सी', ग्रेड 'डी' ग्रेड 'ई' और ग्रेड 'एफ'। ग्रेड 'बी' के पदों पर अधिकारियों की भर्ती के लिए बैंक में भर्ती के दो तरीके प्रचलित हैं। एक पैनल वर्ष में ग्रेड 'बी' में अधिकारियों की 35% रिक्तियां प्रतिस्पर्धी परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं। अधिकारी ग्रेड 'बी' के 15% पद प्रतिस्पर्धी योग्यता अर्थात परीक्षा-सह-साक्षात्कार के आधार पर ग्रेड 'ए' के पात्र कर्मचारी अधिकारी से चयन द्वारा भरे जाते हैं और शेष 50% भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गई चयन सूची के आधार पर अधिकारी ग्रेड 'बी' पद बैंक द्वारा भरे जाते हैं। सर्विसेज बोर्ड पिछले तीन वर्षों के साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पात्र कर्मचारी अधिकारी ग्रेड 'ए' की एक सूची बनाता है।

8. अधिकारियों की पदोन्नति की एक योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गई थी और इसे 31 दिसंबर, 1980 के प्रशासन परिपत्र संख्या 26 के माध्यम से प्रसारित किया गया था। पदोन्नति योजना का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> "अधिकारी-पदोन्नति प्रणाली
>
> बैंक में पूर्ववर्ती समूह I, II और III से संबंधित अधिकारियों के विभिन्न ग्रेडों में सामान्य वरिष्ठता और अंतर-समूह गतिशीलता की शुरुआत से पहले, उच्च ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह-वार की जाती थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कैडर समीक्षा समिति ने भर्ती, पदोन्नति, विभिन्न विभागों के बीच अधिकारियों की गतिशीलता आदि के संबंध में नियुक्त किया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, भविष्य में भर्ती, पदोन्नति, विभागों के बीच गतिशीलता और पदों की

अंतर-परिवर्तनीयता के लिए प्रक्रियाएं तय की जाएंगी। जैसा कि क्रमशः 22 मई 1974 और 7 जनवरी 1978 के प्रशासन परिपत्र 15 और 8 में सूचित किया गया था, तैयार की गई थी।

2. बैंक ने तब से अधिकारी संवर्गों में पदोन्नति की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की है। मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और केंद्रीय बोर्ड की समिति की मंजूरी के साथ, यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा चयन प्रणाली को नीचे बताई गई सीमा तक संशोधित किया जा सकता है।

<u>कर्मचारी अधिकारी ग्रेड ए और बी.</u>

स्टाफ ऑफिसर ग्रेड ए और बी को पदोन्नति की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी। (अर्थात ग्रेड "बी" में पदोन्नति के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और साक्षात्कार की जांच के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से चयन। विचार का क्षेत्र रिक्तियों की संख्या से दोगुना था और एससी/एसटी वर्ग से संबंधित अधिकारी शामिल थे। तीसरे क्षेत्र में और चयन वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर किया गया था और जिन अधिकारियों ने न्यूनतम योग्यता मानक प्राप्त कर लिया था, उन्हें पैनल में शामिल किया गया था)।

9. बैंक की मौजूदा नीति की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के पूर्व निदेशक श्री एस.एस. मराठे की अध्यक्षता में बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संसाधन विकास की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। मानव संसाधन विकास के लिए और समिति ने 31 जनवरी 1992 को बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी। बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर और मराठे समिति की सिफारिशों के आलोक में और केंद्रीय बोर्ड की समिति की मंजूरी के साथ अपनी पदोन्नति नीति की समीक्षा की। बैंक के निदेशक ने 1 जनवरी, 1995 से शुरू होने वाले पैनल वर्ष से 29 नवंबर 1994 के प्रशासन परिपत्र संख्या 4 के माध्यम से अधिकारियों की पदोन्नति नीति में कुछ संशोधन पेश किए। पदोन्नति नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

"(i) पदोन्नति की प्रणाली"

उच्च ग्रेड (ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'एफ' तक) में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की पहचान करने की चयन प्रक्रिया संयुक्त वरिष्ठता समूह के अधिकारियों और आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईएपी) के अलावा अन्य समूहों से संबंधित अधिकारियों और सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (डीईएसएसीएस) के लिए अपरिवर्तित रहेगी।

हालाँकि, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईएपी) और सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (डीईएसएसीएस) से जुड़े ग्रेड 'बी' में अनुसंधान अधिकारी को ग्रेड 'सी' में सहायक सलाहकार के पद पर पदोन्नति के लिए चयन साक्षात्कार शुरू किए जाएंगे। साथ ही डीईएपी/डीईएसएसीएस में ग्रेड 'डी'/'ई' में विस्तारित वेतनमान में अधिकारियों के लिए दक्षता बार को पार करने के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू करके दक्षता निर्धारित करने की प्रणाली को संशोधित किया जाएगा। साक्षात्कार विचारणीय करने वाली समिति की संरचना अलग से तय की जाएगी।

(ii) विचारणीय क्षेत्र

साक्षात्कार/स्क्रीनिंग के लिए अधिकारी की पहचान करने के लिए विचारणीय क्षेत्र ग्रेड 'बी', 'सी' 'डी' और 'ई' में पदोन्नति के लिए अनुमानित रिक्तियों की संख्या से दोगुना तय किया जाएगा। यह संख्या पुनरावर्तकों को बाहर कर देगी। दूसरे शब्दों में, साक्षात्कार/स्क्रीनिंग के लिए पात्र अधिकारियों की संख्या वे होंगे जिनका पहले चयन नहीं किया गया था और साथ ही अपेक्षित रिक्तियों की संख्या दोगुनी होगी। इसके अलावा, ग्रेड 'एफ' में पदोन्नति के लिए बहुत उच्च स्तर की चयनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पुनरावर्तकों को छोड़कर, विचार का क्षेत्र प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या का 3 गुना होगा।

उपरोक्त परिवर्तन के अनुरूप, ग्रेड 'सी' तक के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए विचार का विस्तारित क्षेत्र रिक्तियों की संख्या का 3 गुना तय किया जाएगा।

(iii) पात्रता

जिन अधिकारियों ने पैनल वर्ष की 1 जनवरी को एक ग्रेड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार के पात्र होंगे। हालाँकि, साक्षात्कार के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग के लिए न्यूनतम पात्र सेवा में दो वर्ष की छूट दी जाएगी।

(iv) पैनल का आकार

चयनित अधिकारियों के पैनल का आकार वर्ष के लिए अनुमानित रिक्तियों की संख्या तक सीमित होगा। पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध अधिकारियों के मौजूदा ग्रेड में अंतर वरिष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।

10. पैनल वर्ष 1998 के लिए ग्रेड 'बी' में पदोन्नति के लिए अधिकारी ग्रेड 'ए' का चयन पिछले तीन वर्षों अर्थात 1995, 1996 और 1997 के लिए दर्ज निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा प्राप्त अंकों और साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर तय किया गया था। याचिकाकर्ता पर भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड द्वारा अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया गया था। याचिकाकर्ता का साक्षात्कार भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड द्वारा गठित साक्षात्कार बोर्ड द्वारा किया गया था। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकारी को साक्षात्कार के लिए निर्धारित 50 अंकों में से न्यूनतम 15 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पदोन्नति योजना के तहत पैनल का आकार रिक्तियों की संख्या की सीमा तक सीमित था, चयन प्रक्रिया में चयनात्मकता और योग्यता का तत्व पेश किया गया था। पदोन्नति के लिए विचारणीय अधिकारी को विचार क्षेत्र में लाने में वरिष्ठता ने भूमिका निभाई।

11. मौजूदा प्रक्रिया के अनुसरण में सेवा बोर्ड द्वारा एक चयन समिति का गठन किया गया था और याचिकाकर्ता को अन्य उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जो अधिकारी ग्रेड 'ए' से ग्रेड 'बी' में पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में आते थे। याचिकाकर्ता साक्षात्कार में उपस्थित हुआ और 50 अंकों में से 28 अंक प्राप्त किए और पदोन्नति नीति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात 1995, 1996 और 1997 के निष्पादन

मूल्यांकन रिपोर्ट के औसत अंक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों में जोड़े गए। मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल अंक 200 से घटाकर 100 कर दिए गए। याचिकाकर्ता ने 100 में से 76 अंक प्राप्त किए और उसके कुल अंक 150 में से 104 थे, जबकि प्रत्यर्थी नंबर 5 ने एसीआर में 85 अंक और साक्षात्कार में 35 अंक प्राप्त किए। उनके कुल अंक 118 थे। इसी प्रकार, उत्तरदाता संख्या 6 और 7 ने अपने तीन वर्ष के एसीआर और साक्षात्कार के आधार पर 114 और 116 अंक प्राप्त किए। तदनुसार, उन्हें अधिकारी ग्रेड 'बी' के पद पर पदोन्नति दी गई।

12. रिकॉर्ड पर उपलब्ध दलीलों और दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता ही एकमात्र मानदंड नहीं था। मानदंड वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और साक्षात्कार की जांच पर आधारित था। मानदंड एसीआर और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता ने कम अंक अर्थात 104 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि प्रत्यर्थीगण संख्या 5, 6 और 7 ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, यही कारण है कि उन्हें अधिकारी ग्रेड 'बी' के पद पर पदोन्नत किया गया।

13. इस याचिका में शामिल समान विवाद **सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था और इसे पैरा 14 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "14. हमें श्री सच्चर के उपरोक्त तर्क में कोई दम नहीं दिखता। पदोन्नति नीति के अवलोकन से पता चलता है कि संवर्ग में पदोन्नति के प्रयोजन हेतु जेएमजीएस से एमएमजीएस II और एमएमजीएस II से एमएमजीएस III और फिर स्केल VII तक के अधिकारियों की नियुक्ति केवल वरिष्ठता पर आधारित नहीं है। वरिष्ठता के बिंदुओं के अलावा चयन प्रक्रिया पर आधारित अन्य कारक भी महत्वपूर्ण थे और इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि उच्च वेतनमान में ऐसी पदोन्नति केवल वरिष्ठता पर आधारित थी। पहले से ही ऊपर निर्दिष्ट पदोन्नति नीति में निर्धारित मानदंडों का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वरिष्ठता के लिए अंकों के अलावा, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के लिए अंक, निष्पादन के लिए अंक, साक्षात्कार में पहचाने गए मानदंड और क्षमता के लिए अंक

भी हैं जिनका पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि जेएमजीएस से एमएमजीएस II में पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता के लिए 60 अंक बताए गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि स्केल II में ऐसी पदोन्नति को चयन की विधि के अलावा अन्यथा पदोन्नति माना जा सकता है। हमारे विचार में जब तक पदोन्नति, केवल वरिष्ठता पर आधारित न हो और योग्यता पर आधारित अन्य कारक जैसे शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, स्केल में निष्पादन, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का कोई महत्व न हो, इसे वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं माना जा सकता है। नीति के अवलोकन से पता चलता है कि यह पदोन्नति की एक मिश्रित प्रणाली है जिसमें वरिष्ठता के साथ-साथ अन्य कारकों के लिए स्केल IV तक अंक दिए जाते हैं जो शैक्षिक योग्यता, निष्पादन के आधार पर एक प्रकार की चयन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। पैमाना और साक्षात्कार. स्केल IV से स्केल VII तक पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता के लिए कोई अंक नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार पदोन्नति नीति की पूरी योजना को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि जेएमजीएस I से स्केल VII तक अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति को चयन के आधार पर पदोन्नति माना जाएगा। हालाँकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का नियम चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्तियों पर लागू होगा, जो सीधे तौर पर की भर्ती जाने वाली नियुक्तियों के लिए अकेले चयन के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया से कुछ अलग प्रक्रिया के अधीन होगा।"

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **के. सामंतराय (सुप्रा.)** के मामले में माना है कि वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति में, नियोक्ता के लिए यह खुला है कि वह अपनी स्वयं की पदोन्नति नीति तैयार कर सके, जिसमें क्षेत्र और भारिता के मानदंड को निर्दिष्ट किया जाए। वरिष्ठता एवं योग्यता पृथक-पृथक है तथा इसे पैरा क्रमांक 5 एवं 11 में निम्नानुसार रखा गया है:-

"5. प्रत्युत्तर में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूरी नीति को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता ही एकमात्र मानदंड नहीं है। पैरा 7.2 स्वयं यह स्पष्ट करता है कि जैसे-जैसे कोई पदों के पदानुक्रम में ऊपर जाता है, वरिष्ठता का महत्व कम हो जाता है, और योग्यता का महत्व सर्वोपरि हो जाता है। *इसके महासचिव के.एस. बडलिया एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1990 (एसयूपीपी) एससीसी 350 के माध्यम से सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (पंजीकृत)* का संदर्भ दिया गया था। यह तर्क देने के लिए कि जहां वरिष्ठता-सह-योग्यता और अन्य सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विधिवत ध्यान दिया गया है, वहां शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसने बताया कि रिट याचिका में नीति या इसकी प्रभावकारिता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी और केवल बहस के दौरान शायद राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से सहारा लिया गया था और पैरा 7.2 की वैधता के बारे में दलील दी गई थी। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि नीति एक दशक से अधिक समय से लागू है, और यहां तक कि पैरा 7.2 के आधार पर पदोन्नत किए गए एक भी अधिकारी को शामिल किए बिना, रिट याचिका को गलत ठहराया गया था।

11. पदोन्नति नीति या नियम निर्धारित करते समय, नियोक्ता के लिए योग्यता और वरिष्ठता के संबंध में अलग से दी जाने वाली भारिता के क्षेत्र और मानदंड को निर्दिष्ट करना हमेशा खुला होता है, जब तक कि नीति शक्ति का संगत प्रयोग न हो, या उसका प्रभाव न हो। हस्तक्षेप और अन्य संबंधित किसी भी वैधानिक दायरे का उल्लंघन करना होगा। *बी.वी. शिवैया (सुप्रा.)* में निर्णय तथ्यों और कानून में स्पष्ट रूप से भिन्न है। यह एक ऐसा मामला था जहां वैधानिक नियम क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि वैधानिक नियमों से भिन्न शर्तों को तय करना अस्वीकार्य है। मौजूदा मामले में, फरवरी 1990 में नीति तैयार होने से पहले, कोई संहिताबद्ध नुस्खे नहीं

थे। प्रत्यर्थी-नियोक्ता का यह रुख था कि नीति के निर्माण से पहले, कुछ दिशानिर्देश मौजूद थे और नीति का उद्देश्य अधिकारी संवर्ग के भीतर पदोन्नति से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों को तर्कसंगत और संहिताबद्ध करना था। कोई वैधानिक नियम लागू नहीं है। पदोन्नति के लिए मानदंड निर्धारित करना नियोक्ता का काम है, जो वास्तव में नीति निर्माण के क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए, प्रशासन के पदानुक्रम में पदों की श्रेणी, श्रेणी और प्रकृति के आधार पर, वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत पर दावों को तय करने के लिए प्रत्यर्थी के पास योग्यता को प्रधानता देने के लिए अपने स्वयं के मानदंड रखने की अनुमति ऐसे पदों के लिए दक्षता की आवश्यकताएँ थी।

15. **बी.वी. सिवैया (सुप्रा.)** के मामले में याचिकाकर्तागण द्वारा भरोसा किया गया निर्णय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए लागू नहीं होता है क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने प्रचलित पदोन्नति नीति के आधार पर पदोन्नति के प्रावधान को प्रासंगिक समय पर आगे बढ़ाया है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार माना है कि किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं है। ऐसे कर्मचारी को केवल पदोन्नति के लिए विचार किये जाने का अधिकार है। **हरदेव सिंह बनाम** के मामले में **यूनियन ऑफ इंडिया** ने **2011(10) एससीसी 121** में बताया कि कर्मचारियों को पदोन्नति देने के संबंध में नियोक्ता अपनी नीति में बदलाव के लिए हमेशा खुला है। न्यायालय सामान्यतः ऐसे नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे पैरा 17, 25 से 27 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> "17. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं है; इसलिए याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति पाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसे लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार था और यदि प्रचलित नीति के अनुसार, वह उक्त रैंक पर पदोन्नत होने के योग्य था, उस पर विचार किया जाना चाहिए था. वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि एसएसबी द्वारा

लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विधिवत विचार किया गया था।

25. हमारी राय में, कर्मचारियों को पदोन्नति देने के संबंध में नियोक्ता अपनी नीति में बदलाव के लिए हमेशा खुला है। यह न्यायालय सामान्यतः ऐसे नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम *वीरेंद्र एस.हुड्डा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1999) 3 एससीसी 696 के मामले में* इस न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करना चाहेंगे। जहां इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 4 में कहा था कि:

"...जब पद भरने के तरीके के बारे में राज्य द्वारा एक नीति घोषित की गई है और वह नीति समय-समय पर लोक सेवा आयोग को जारी किए गए नियमों और निर्देशों के अनुसार घोषित की जाती है और जब तक ये निर्देश हैं नियमों के विपरीत नहीं, प्रत्यर्थीगण को भी इसका पालन करना चाहिए।

26. इसी प्रकार, *बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ और अन्य में (2002) 2 एससीसी 333,* यह माना गया है कि कोई न्यायालय सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकती क्योंकि उसे लगता है कि कोई अन्य नीति अधिक निष्पक्ष या समझदार या अधिक वैज्ञानिक या तार्किक होती। नीति के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना या इसके लाभकारी या न्यायसंगत स्वभाव की डिग्री का परीक्षण करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

27. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है क्योंकि उसके मामले पर एसएसबी द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए दो बार विधिवत विचार किया गया था, लेकिन चूंकि अन्य अधिकारी याचिकाकर्ता से बेहतर पाए गए थे, उनकी पदोन्नति नहीं हो सकी. इन परिस्थितियों में, हमें अपील में कोई तथ्य नहीं मिला और इसलिए, अपील खारिज किए जाने योग्य है।"

17. चूंकि विनियमन 1948 का नियम 29 स्पष्ट और विशिष्ट है और यह कहता है कि

सभी नियुक्तियां और पदोन्नतियां बैंक के विवेक पर की जाएंगी और किसी भी ग्रेड में उसकी वरिष्ठता के बावजूद किसी भी कर्मचारी को किसी भी विशेष पद या ग्रेड पद पर नियुक्त और पदोन्नत होने का अधिकार नहीं होगा।

18. आरबीआई को पदोन्नति की नीति बनाने का विवेकाधिकार दिया गया है और नियम 29 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थीगण ने वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के मानदंडों और साक्षात्कार और पिछले तीन एसीआर में उनके अंकों के आधार पर ग्रेड 'ए' से 'बी' तक कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अपनी नीति बनाई। याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 की तुलना में उच्च अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, जिन्होंने बैंक द्वारा निर्धारित पदोन्नति मानदंडों के आधार पर उच्च अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता को ग्रेड 'बी' अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई।

19. चूंकि याचिकाकर्तागण ने न तो विनियमन 1948 के विनियमन 29 की वैधता और संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और न ही पदोन्नति की मौजूदा नीति को चुनौती दी है, इसलिए, वे पदोन्नति के मानदंड और प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत करने के पात्र नहीं हैं।

20. तदनुसार, ये दोनों याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और इन्हें खारिज करने किया जाता है।

21. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) भी खारिज कर दिए जाते हैं।

22. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

Pcg/5 and 6

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।